क्र 3105/T-L/20
दि 26-2-20

(1)

कार्यालय कलेक्टर जिला राजगढ़ (ब्यावरा) म0प्र0

राजगढ़, दिनांक 24 फरवरी, 2020

दिनांक 24 फरवरी, 2020 को आयोजित समय–सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में दिए गए मुख्य निर्देश :–

1– सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्वास्थ्य विभाग की शिकायतें पूर्व सप्ताह की तुलना में बढ़ गई हैं अतः स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देशित किया गया कि आज ही समस्त शिकायतों का तत्परता के साथ निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

दिनांक 17 फरवरी, 2020 को आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संभाग में जिला राजगढ़ के स्वास्थ्य विभाग की स्थिति सबसे खराब पायी गयी, इससे स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा उचित ढंग से कार्य नहीं किया जा रहा है और न ही शासन की योजनाओं का समुचित लाभ हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। आपके द्वारा विभिन्न बिंदुओ पर बनाया गया बैठक का फोल्डर बिना जांच किये मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिससे गलत जानकारी मुझे प्राप्त हुई। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि बैठक के समस्त बिंदुओं पर कार्यवाही प्रारंभ कर कार्य में प्रगति लायी जाना सुनिश्चित करें एवं की गई कार्यवाही से आगामी टीएल बैठक में मुझे अवगत करावें।

उपरोक्त कृत्यों हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजगढ़ का कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उपरोक्त समस्त बिंदुओ पर स्पष्टीकरण प्राप्त करें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर / सीएमएचओ / सिविल सर्जन / डीएचओ, जिला राजगढ)

2– जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला राजगढ़ आज बैठक में अनुपस्थित रहे, पूर्व में निर्देश देने के उपरांत भी इनके द्वारा कोई ऐसा सेकण्ड ऑफिसर बैठक में नहीं भेजा गया, जिन्हे बैठक में चर्चा होने वाले बिंदुओ की समस्त जानकारी हो।

श्री रवि सिंह, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, एमपीजीबी तथा श्री डी.आर. नागर, एनजेजीबी, उपस्थित हुए जिन्हें आज दिनांक को संचालनालय संस्थागत वित्त, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल भवन, भोपाल के पत्र कमांक प्राविवि / विडियो–कॉफ्रेंस / 2020 / संविसं / क्यू भोपाल दिनांक 23.02.2020 के माध्यम से चाही गई जानकारी के विषय में कोई जानकारी न होना बताया गया। डीएलसीसी की बैठक में निर्णय पारित होने के उपरांत भी न तो एलडीएम बैठक में स्वयं उपस्थित होते हैं न ही इनके द्वारा सौंपे गये कार्यो का सम्पादन उचित रूप से किया जा रहा है।

यह स्थिति कदापि उचित नहीं है अतः पूर्व में दिये गये समस्त कारण बताओं सूचना पत्रों का उल्लेख करते हुए जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला राजगढ़ को पुनः कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया जावें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर / प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा, जिला राजगढ़)

क्र. 3105/T.L./20
दि. 26-2-20

3— सीएम हेल्पलाईन में लंबित शहरी विकास विभाग की समीक्षा के दौरान परियोजना अधिकारी, शहरी विकास अभिकरण विभाग, जिला राजगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि अगले सप्ताह तक समस्त शिकायतों का निराकरण कर लिया जावेगा तथा आगामी सप्ताह से शिकायतें नहीं बढ़ेंगी।

(कार्यवाही– पीओ, डूडा जिला राजगढ़)

4— अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ आगामी दिनांक 31 मार्च, 2020 से पूर्व राजस्व विभाग में लंबित समस्त राजस्व विभाग की शिकायतें (सीमान्कन, बंटवारा, नामान्तरण एवं अन्य) का निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

5— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़ प्रत्येक शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग एवं जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, जिला राजगढ़ के कार्यों की विभागीय एवं सीएम हेल्पलाईन में लंबित शिकायतों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करें। साथ ही स्वास्थय विभाग के किसी एक शिकायतकर्ता को रैण्डमली कॉल लगाकर जानकारी प्राप्त करें कि विभाग द्वारा हितग्राही को वास्तव में योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है अथवा नहीं।

सीएमएचओ, जिला राजगढ़ द्वारा जिले में आयुष्मान कार्ड्स के ऑनलाईन एण्ट्री हेतु आयुष्मान मित्रों का जिले में अभाव होना बताया गया जिसके उपलक्ष्य में निर्देशित किया गया कि शासन से आयुष्मान मित्रों की मांग हेतु अर्धशासकीय पत्र तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें साथ ही कियोस्क के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवाने हेतु आमजनता में अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें।

दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे द्वारा स्वास्थ्य विभाग की बजट संबंधी समीक्षा की जावेगी अतः सीएमएचओ, अपने विभाग को वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राप्त हुई कुल राशि तथा वर्तमान में शेष राशि, राशि का पूर्व में किस प्रकार उपयोग किया गया तथा शेष राशि का किन स्थानों पर उपयोग किया जाना है, का प्रेजेण्टेशन तैयार कर बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– सीईओ/जिला पंचायत,/सीएमएचओ,/सीएस,जिला राजगढ़)

6— समस्त जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि आज दिनांक से आपके वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित व्ही.सी./बैठक अथवा पत्रों के माध्यम से जो विशेष निर्देश आपको प्रसारित किये जाते हैं, उन समस्त निर्देशों की संक्षिप्त टीप तैयार कर प्रत्येक टीएल बैठक में अवगत करावें।

समस्त जिला अधिकारीगण सुनिश्चित करें कि किसी भी बैठक के पूर्व मुझे प्रेषित की जाने वाली जानकारी/फोल्डर की जांच स्वंय करें तदउपरांत ही जानकारी/फोल्डर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, गलत जानकारी प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

(कार्यवाही– समस्त जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ़)

फ्र 3105/T.L/20
दि. 26-2-20

7– पूर्व टीएल बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार जांच कराये जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट(नल–जल योजना/हैण्डपम्प/कूप आदि कितने चालू हैं तथा कितने बंद हैं) में भिन्नता पायी गई, समीक्षा उपरांत निर्देशित किया गया कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी/कर्मचारी एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत संयुक्त भ्रमण कर बंद एवं चालू नल–जल योजना/हैण्डपंप/ कुओं आदि का पता लगाकर आगामी टीएल बैठक में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें तथा साथ ही फोटो समेत प्रेजेण्टेशन प्रस्तुत करें। बंद नल–जल योजनाओं एवं सूखे स्तोत्रों को ग्रीष्मकाल में किस प्रकार सुधारा जावेगा, की जानकारी भी प्रस्तुत करें। साथ ही ग्रीष्मकाल के दौरान किन–किन स्थानों पर पेयजल परिवहन की आवश्यकता होगी, की जानकारी से भी अवगत करावे।

ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या से निवारण हेतु एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार करें, ग्रुप में 30 सेकण्ड के विडियो एवं विजिट के फोटो शेयर करें, जिले में जिन स्थानों पर पेयजल संबंधी समस्या है वहां त्वरित कार्यवाही कर पेयजल आमजनों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– प्रभारी अधिकारी राहत शाखा/सीईओ.जि.प./समस्त सीईओ. जनपद/ईई. पीएचई जिला राजगढ)

8– आगामी जनअधिकार कार्यक्रम में चयनित विषय अनुसार संबंधित जिला अधिकारीगण शिकायतों को संतुष्टि के साथ क्लोज किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सर्व संबंधित जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ)

9– जिलें में निर्मित/निर्माणाधीन गौशालाओं की समीक्षा की, तद्उपरांत निर्देशित किया गया कि आगामी दिनांक 28 फरवरी, 2020 के पूर्व समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला राजगढ़ अपने क्षेत्रों में गौशाला निमार्ण कार्य पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– समस्त सीईओ. जनपद/ईई. आरईएस. जिला राजगढ)

10– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के underground wiring का कार्य शीघ्र पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही दिनांक 27 फरवरी, 2020 को राजस्व अधिकारियों की बैठक का आयोजन कर राजस्व प्रकरणों/सीएम हेल्पलाईन आदि की समीक्षा कर वस्तुस्थिति से मुझे अवगत करावें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ)

11– जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला राजगढ़ बैठक में दिये गये निर्देश अनुसार किन नियमों के आधार पर हितग्राहियों के नाम ग्रामसभा से पारित किये गये है तथा किन हितग्राहियों को अपात्र किया गया है, की समस्त जानकारी (केटेगरी वाईज) का प्रेजेण्टेशन तैयार कर आगामी टीएल बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही–डीओ.ट्राईबल/एसडीओ. फोरेस्ट/ समस्त सीईओ. जनपद, जिला राजगढ)

क्रं. 3105/T.L./20
दि. 26-2-20

(4)

12– जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अधिकारी, जिला प्रबंधक, नॉन, उप संचालक, कृषि विकास विभाग, महा प्रबंधक, केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्या., उपायुक्त,सहकारिता, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक, वेयरहाउस आदि संयुक्त रूप से बैठक कर उर्पाजन केन्द्र बनाने हेतु प्राप्त आवेदनों (ग्राम दोलजा, धतरावदा, सोनखेड़ा एवं लसूड़लिया जांगीर आदि) पर विचार कर शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– सर्व संबंधित जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ)

13– मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़ समस्त जिला अधिकारियों से विगत वर्ष 2019–20 में किये गये उल्लेखनीय कार्यों/लक्ष्य पूर्ति की जानकारी संकलित कर आगामी टीएल बैठक में अवगत करावे, ताकि विभाग द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्यों का लेख करते हुए पुस्तक छपवाई जा सके।

(कार्यवाही– सीईओ.जिला पंचायत, जिला राजगढ)

14– जिला आबकारी अधिकारी, जिला राजगढ़ जिला मुख्यालय के पुराने बस स्टेण्ड पर स्थित शराब की दुकान अन्य स्थान पर शिफ्ट करवायी जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– जिला आबकारी अधिकारी, जिला राजगढ)

15– दिनांक 28 फरवरी, 2020 को शहरी विकास अभिकरण विभाग की बजट संबंधी बैठक का आयोजन किया जावेगा, उक्त बैठक हेतु परियोजना अधिकारी, शहरी विकास विभाग समस्त तैयारी की जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– पीओ, डूडा, जिला राजगढ)

16– समस्त जिला अधिकारीगण सुनिश्चित करें कि जिन न्यायालयीन प्रकरणों एवं अवमानना प्रकरणों में आपको प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, उन प्रकरणों के जबाब निर्धारित समय–सीमा में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किये जावे, जबाब दावा प्रस्तुत करने के उपरांत प्रस्तुत किये गये जबाब की एक छायाप्रति सूचनार्थ इस कार्यालय (विधि शाखा) में अनिवार्यतः प्रेषित की जावे। सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु लंबित न रहे।

अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ ऐसे न्यायालयीन प्रकरण एवं अवमानना प्रकरण जिनमें संबंधित अधिकारी द्वारा जबाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, का सम्पूर्ण पत्रक (अधिकारी का नाम, कितने प्रकरण जबाब प्रस्तुत करने हेतु लंबित हैं तथा प्रकरण की अगली सुनवाई किस दिनांक को है)तैयार कर प्रत्येक टीएल बैठक में प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर/समस्त जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ)

17– जिला कौषालय अधिकारी, जिला राजगढ़ पीआरओ को "जिस दिनांक को शासन से बजट प्राप्त हुआ उसी दिन समस्त अतिथि शिक्षकों का वेतन भुगतान किया गया," के संबंध में प्रेस नोट बनाकर प्रेषित करें।

(कार्यवाही– टीओ/पीआरओ, जिला राजगढ)

क्र. 3105/T.L./20
दि. 26-2-20

(5)

18– SAM FREE RAJGARH अभियान अंतर्गत किये गये कार्यों की समीक्षा (third party servey) करवाने हेतु अपने विभागीय वरिष्ठ अधिकारियेां से पत्राचार करें साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के नियुक्ति संबंधी कार्य शीघ्रताशीघ्र पूर्ण करें।

Indian Express Award में आवेदन करने हेतु अच्छे–अच्छे फोटो उपलब्ध करायें। तथा जिन क्षेत्रों में अवार्ड प्रदान किये जाते है उन समस्त क्षेत्रों एप्लाय अवश्य करें।

(कार्यवाही– डीपीओ, म.बा.वि.वि, जिला राजगढ)

19– महा प्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, जिला राजगढ़ आगामी टीएल बैठक में समस्त स्वरोजगार योजनाओं के प्रकरणों की स्वीकृति एवं वितरण संबंधी समस्त जानकारी के साथ उपस्थित होवें।

(कार्यवाही– जीएम, डीआईसी, जिला राजगढ)

20– जिला राजगढ़ में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के कारण अनुसंधान में 03 प्रकरण लंबित हैं। जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ़ से समन्वय स्थापित कर समस्त लंबित प्रकरणों का निराकरण आगामी 07 दिवस में किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर/डीओ,ट्राईबल, संबंधित एसडीएम, जिला राजगढ)

21– सीएमएचओ/डीएचओ, जिला राजगढ़ जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला राजगढ़ को जिले के जननी सुरक्षा योजना के पात्र हितग्राहियों (जिन्हें भुगतान किया जा चुका है) की जानकारी आगामी टीएल बैठक के पूर्व उपलब्ध करावें।

(कार्यवाही– सीएमएचओ,/सीएस/डीएचओ,जिला राजगढ)

22– बैठक में हुई चर्चा अनुसार मेडीकल कॉलेज हेतु भूमि का सीमान्कन कर भू– आबंटन हेतु **03 दिवस** में आगामी आवश्यक कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– एसडीएम राजगढ़/एसडीओ,फोरेस्ट/एसएलआर, जिला राजगढ)

23– अमानक पाये गये बीजो/उर्वरक के विरूद्ध जिले में की गई कार्यवाही की स्थिति ठीक नहीं है अतः ज्यादा से ज्यादा नमूने एकत्रित कर अमानक बीजों/उर्वरक के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करें।

(कार्यवाही– उप संचालक,कृषि विभाग, जिला राजगढ)

24– लाभार्थी परिवारों के पीडीएस सत्यापन/कृषकों के पंजीयन, उर्पाजन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही– डीएसओ/पीओ, डूडा, जिला राजगढ)

25– अपर कलेक्टर, जिला राजगढ़ समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला राजगढ़ को सभी पेट्रोल पम्प पर PCI (Pollution control instruction) को दर्शित करने हेतु पत्र जारी करें।

(कार्यवाही– अपर कलेक्टर/डीएसओ/समस्त एसडीएम, जिला राजगढ)

(6) क्र. 3105/T.L./20
दि. 26-2-20

26— शासन द्वारा भेजे गये शेड्यूल अनुसार समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला राजगढ़ दिनांक 26.02.2020 तक मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— समस्त सीईओ.जनपद, जिला राजगढ)

27— बैठक में हुई चर्चा अनुसार समस्त जिला अधिकारीगण मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी बीमा योजना के कियान्वयन एवं डीपीएफ पासबुक हेतु अधिकारी/कर्मचारियों की आवश्यक जानकारी जिला कौषालय अधिकारी, जिला राजगढ़ को दिनांक 29 फरवरी, 2020 के पूर्व उपलब्ध करायी जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— समस्त जिला अधिकारीगण, जिला राजगढ)

28— जिला मुख्यालय पर दिनांक 08 मार्च, 2020 को राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जावेगा, उपरोक्त संदर्भ में बैठक में हुई विस्तृत चर्चा अनुसार ड्यूटी ऑडर तैयार कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे द्वारा महिला दिवस पर किये जा रहे समस्त सांस्कृतिक कार्यकमों की समीक्षा की जावेगी।

(कार्यवाही— सीईओ, जि.प./डीपीओ, म.बा.वि/ सर्व संबंधित अधिकारीगण जिला राजगढ)

26/02/2020

अपर कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.

<u>कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा)</u> म.प्र.

कमांक 3105/टीएल/20 राजगढ, दिनांक 24 फरवरी, 2020 26-2-20

प्रतिलिपि:

1— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला राजगढ़।
2— अपर कलेक्टर, जिला राजगढ।
3— संयुक्त कलेक्टर, जिला राजगढ।
4— डिप्टी कलेक्टर, समस्त.......... जिला राजगढ।
5— सर्व जिलाधिकारी..........जिला राजगढ
6— समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).......... जिला राजगढ।
7— समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..........जिला राजगढ।
8— अधीक्षक, कलेक्टर कार्यालय, जिला राजगढ।

की ओर सूचनार्थ एवं दिए गए निर्देशों का पालन कर पालन प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

26/02/2020

अपर कलेक्टर,
जिला राजगढ़, म.प्र.

50-60
आगे-पिछे